जिला स्वास्थ्य समिति, मधुबनी

सदर अस्पताल, मधुबनी के सामने, अस्पताल रोड, मधुबनी।
PIN-847211, Ph-06276-227261
Email- dhsmadhubani@gmail.com

:–सूचना:–

कार्यपालक निदेशक, राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार, पटना के पत्रांक 5274 दिनांक 16.11.2016 के आलोक में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत जिले के प्रखंडों में चयनित अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों पर Medical Officer (चिकित्सा पदाधिकारी) के रिक्त पदों पर नियोजन संविदा के आधार पर किया जाना है। उक्त आलोक में जिला स्वास्थ्य समिति, मधुबनी द्वारा संविदा आधारित निम्न पद पर नियोजन हेतु अर्हता रखने वाले योग्य उम्मीदवारों का वाक्–इन–इंटरव्यू दिनांक **15.02.2018 को पूर्वाहन 10:30** बजे से जिला पदाधिकारी, मधुबनी के कार्यालय प्रकोष्ठ में आयोजित की जायेगी।

क्रम सं0	पद का नाम	रिक्त पदों की संख्या आरक्षण कोटिवार	योग्यता/अर्हता	आयु सीमा	मानदेय प्रतिमाह (रू0 में)
1	Medical Officer (चिकित्सा पदाधिकारी) For APHC	08 (अनारक्षित–02, अनारक्षित (महिला)–02 , अनुसूचित जाति– 01, अत्यंत पिछड़ा वर्ग– 01, पिछड़ा वर्ग–01 एवं पिछड़े वर्ग की महिला–01)	किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से एम0बी0बी0एस0 की डिग्री। साथ ही बिहार राज्य चिकित्सा परिषद् से स्थायी निबंधन का होना अनिवार्य है।	अधिकतम 62 वर्ष	50,000.00 (पचास हजार) रू0 प्रति माह

सामान्य निर्देश

1. उक्त पद पूर्णतः संविदा आधारित एवं 11 माह की होगी अथवा जब तक राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन से राशि प्राप्त होती रहेगी, जो भी पहले हो। संविदा को आवश्यकतानुसार संतोषजनक कार्य प्रदर्शन के आधार पर आगे बढ़ाया जा सकता है।
2. इंटरव्यू में संबंधित अभ्यर्थी अपने सभी शैक्षणिक एवं प्रशैक्षणिक प्रमाणपत्रों की मूल प्रति एवं एक सेट स्वअभिप्रमाणित प्रति तथा पासपोर्ट साईज आकार के दो फोटोग्राफ के साथ भाग लेंगे।
3. इस नियुक्ति से संबंधित सूचना एवं जानकारी आदि मधुबनी जिले के एन0आई0सी0 वेबसाईट http://madhubani.bih.nic.in पर समय–समय पर अपलोड की जायेगी। अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि वे उक्त वेबसाईट के सम्पर्क में रहे, जहॉ से समय–समय पर इस वेबसाईट के माध्यम से उक्त सूचना/जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।
4. अभ्यर्थी के आयु–सीमा की गणना 01.01.2018 के आधार पर निर्धारित की जायेगी।
5. किसी प्रखंड के अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र 24X7 हेतु उपलब्ध नहीं होने की स्थिति में अन्य प्रखंड के चयनित अतिरिक्त APHC हेतु चयनोपरांत पदस्थापित किया जा सकता है।
6. जिला स्वास्थ्य समिति, मधुबनी को उक्त पद के किसी एक अथवा सभी कोटि को रद्द करने/सुरक्षित रखने/आंशिक संशोधन करने का अधिकार होगा एवं इसके लिये किसी प्रकार का दावा मान्य नहीं होगा।

ह0/–
सिविल सर्जन सह सदस्य सचिव,
जिला स्वास्थ्य समिति, मधुबनी।

ह0/–
जिला पदाधिकारी सह अध्यक्ष,
जिला स्वास्थ्य समिति, मधुबनी।

20/01/18

सिविल सर्जन सह सदस्य सचिव,
जिला स्वास्थ्य समिति, मधुबनी।

20/01/18

20/01/18